

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/112024/KPN/KANPUR NAGAR/3045/CFO

दिनांक: 19-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स RISING SUN GLOBAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KHASRA NO. 382, PART, MAUJA CHACHEND-SACHENDI-I, CHACHENDI, KANPUR NAGAR तहसील - SADAR, प्लाट एरिया 9225.50 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 6457.38 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RISING SUN GLOBAL SCHOOL	3	0	10.43 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स RISING SUN GLOBAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक बूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 22-03-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MANVENDRA SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 22-03-2024 से 22-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स RISING SUN GLOBAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स RISING SUN GLOBAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : The Building is Operational Since long, The NOC is issued as per NBC-2016 norms on (G+2) FLOOR ONLY as per the Physical Site Inspection & Verification with the Recommendations of FSSO Panki:

- To Maintain All Fire System in Operational mode Always with DG Supply.
- To Maintain all Stairs and Keep free Access to All Exits Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises.
- To Submit Operational Certificate of Fire System on Half Yearly Basis.
- The Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions and for any False Information or FSSO Inspection Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

[B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410]

22-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-03-2024
स्थान : KANPUR NAGAR